[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहते सुना और न कभी क्रोध करते ही देखा । इस लिये लोग उनको चाहते थे । जो व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आये हैं वे कदाचित उनको न जानते हों । मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दिखावे से इतना दूर रह कर सादगी और शांति से जीवन व्यतीत करता हो । और उनकी मृत्यु भी शांति से बिना किसी बाधा के हुई ।

हम ने केवल संविधान सभा के भूत पूर्व उप-सभापति होने के नाते ही याद करते है, परन्तु वास्तविकता तो यह है कि सभापति के बीमार हो जाने पर उन्होंने कई मास तक संविधान सभा का प्रधान पद संभाला । वास्तविकता तो यह है कि हमारे संविधान के सबसे कठिन भाग उस समय रचे गये जब कि डा० मुकर्जी संविधान सभा का सभापतित्व कर रहे थे । वह एक महान जन सेवक थे और श्रेष्ठ ईसाई का सर्वोत्तम उदाहरण थे । और इन सभी कारणों से हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं ।

स्वयं सदन द्वारा निर्मित रुढ़ियों के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जाती है । मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि क्योंकि एक राज्यपाल की मृत्यु हो गई है इस कारण सदन को स्थगित कर दिया जाये । इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने राज्यपालों को सम्मान नहीं करते हैं परन्तु इस कारण क्योंकि हमे अपनी रुढ़ियों का ध्यान रखना आवश्यक है । परन्तु इस सदन के और दूसरे सदन के भी कुछ सदस्यों ने हम से यह प्रार्थना की है कि इस लिये नहीं कि डा० मुकर्जी राज्यपाल थे, प्रत्युत संविधान सभा के कार्यवाही सभापति होने के नाते तथा अन्य कारणों से उनकी एक विशेष स्थिति थी इस लिये, हम चाहते है कि भारत के इस सपूत के प्रति सदन विशेष रुप से सम्मान प्रकट करे ।

सदन के कुछ सदस्यों की यह राय है और इसके विरुद्ध जाना हमारे लिये ठीक नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि इस लिये नहीं कि डा० मुकर्जी किसी राज्य के राज्यपाल थे प्रत्युत इस लिये कि उनका भारत के सार्वजनिक जीवन में एक विशेष स्थान था, सदन को बाकी समय के लिये स्थगित किया जाये ।

इसमें एक कठिनाई भी है जिसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । मैंने कहा था कि मैं आज स्वेज नहर के संबंध में एक वक्तव्य दूंगा । उस वक्तव्य को मैं स्थगित करना नहीं चाहता हूं क्योंकि अन्य राजधानियों में इसके संबंध में यह सूचना दी जा चुकी है कि आज का कुल समय यहां वक्तव्य को दिया जायेगा । इस लिये श्रीमान, यदि अपकी आज्ञा हो, तो आपके आदेशानुसार डा० मुकर्जी के सम्मान में एक दो मिनट तक मौन खड़े रहने के पश्चात मैं स्वेज नहर संबंधी अपने वक्तव्य पढ़ दूं और इसके पश्चात सदन स्थगित हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की स्मृति में सदस्य दो मिनट के लिये मौन खड़े रहें ।

सभासद दो मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : २६ जुलाई को मिस्र के प्रधान नासिर ने सकन्दरिया में एक भाषण देते हुये घोषणा की कि नहर स्वेज का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था । प्रधान के इस आदेश के द्वारा इस प्रकाशित राष्ट्रीयकरण विधि का अनुसरणा करते हुये मिस्र सरकार ने पोर्ट-सईद, हस्माहलिया, स्वेज तथा काहिरा स्थित कंपनी के कार्यालयों को अपने नियंत्रण में ले लिया ।

कंपनी की सभी आस्तियां तथा दायितायें राज्य द्वारा ले ली गई । विधि में अंशधारीयों को बाजार दर से राष्ट्रीयकरण की तिथि से पहले के दिन की दर से प्रतिकर दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है । यह प्रतिकर राज्य द्वारा कंपनी की सभी आस्तियों और परिसम्पत पर अधिकार कर लिये जाने के पश्चात दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

स्वेज नहर में यातायात का प्रबंध एक स्वतंत्र प्राधिकार को सौंपा हुआ था। उसका अपना स्वतंत्र बजट होता था और सरकारी नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुये उस को सभी अधिकार प्राप्त थे।

कंपनी की निधियां और आस्तियां सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। नये प्राधिकार वर्तमान कर्मचारियों को रखने पर बाध्य था; और कर्मचारियों को भी अनुमति बिना अपने पदों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उक्त आदेश में विधि के लागू किये जाने और इन आदेशों के उल्लंघन करने पर सजा दिये जाने का भी उपबंध है।

इस घोषणा का विश्व-व्यापी प्रभाव पड़ा था। यह एक ऐसा गंभीर संकट पैदा हो गया है जिसे यदि शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया न जाये तो, वह शक्तियों के एक संघर्षमें परिणत हो सकता है जिसकी सीमा और जिसके प्रभावों का मूल्यांकन करना इस समय आसान नहीं है। इस संकट में हमारा सबसे अधिक ध्यान एक अधिक शान्त वातावरण और तर्क संगत दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास की ओर ही लगना चाहिये। जब भावनायें प्रबल होती है तो वास्तविक मसले पीछे पड़ जाते हैं। या उनको इस दृष्टि से देखा या इस प्रकार पेश किया जाता है कि जिससे विवाद-ग्रस्त पक्षों के मतभेद ही अधिक उभर कर सामने आते हैं और पहले से ही बनी हुई भावना को और भी अधिक बल मिलता है।

यह किसी के लिये भी आसान नहीं है, और विवाद-ग्रस्त पक्षों के लिये तो और भी कठिन है, कि वह इस दुखद घटना से बिल्कुल अलग हटकर सोच सकें। अन्य लोगों के लिये भी इस घटना के प्रति एक बिलकुल ही वस्तुगत दष्टिकोण को अपनाना संभव नहीं है। इस प्रकार के संकटों में, हम केवल विवादग्रस्त मसले पर ही विचार नहीं करते है अपितु हम इसके साथ ही बलशाली शक्तियां का उभार और उनकी टक्कर को भी देखते हैं।

इस लिये, हमें या तो समस्या के उसी रुप पर विचार करना पड़ता है कि जिस रुप में वह हमारे सामने उपस्थित होती है, या फिर जिस रुप में वह हम पर हावी हो जाती है। इस लिये, उचित यह है कि हम इस समस्या के तथ्यों और इसके इतिहास को देखें।

मिस्र ने जिस स्वेज कैनाल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया है, वह वहां के कार्य-संचालन और उपकरणों का नियंत्रण करती है, और साथ ही मिस्र सरकार द्वारा स्वेज नहर को दी गई रियायतों का स्वामीत्व ग्रहण किये हुये हैं। यह नहर मिस्र में ही है, और मिस्र का एक अविभाज्य भाग है। इस प्रकार उस पर मिस्र की संपूर्ण प्रमुख संबंधता के बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। ओटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत मिस्र के वाइसराय द्वारा १८५६ में इस कंपनी को प्रदान किये गये अधिकार-पत्र में और १९५४ तक हुये बाद के समझोतों में भी इस बात को मान्यता दी गई है। १८५६ के मूल अधिकार पत्र में नहर को दी गई सुविधाओं की शर्तें निश्चित की गई थीं। उसमें कहा गया था कि "वह नहर किन्ही व्यक्तियों या राष्ट्रीयताओं के प्रति बिना किसी विभेद, अपवर्जन या वरीयता के सदा ही एक तटस्थ मार्ग के रुप में एक समुद्र से दूसरे समुद्र को जाने वाले प्रत्येक व्यापारिक जहाज के लिये खुली रहेगी......"

१८८८ में हुये, कुस्तुनतुनियां के समझौते में भी इस बात को दोहराया गया हैं कि नहर सदा ही मुक्त और खुली रहेगी।

ब्रिटेन और मिस्र की सरकारों के मध्य १९५४ में हुये इंग्लैंड मिस्र समझौते में एक ओर तो मिस्र के संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता और दूसरी ओर इस जलमार्ग की अन्तराष्ट्रीय विशेषता संबंधी स्थिति को काफी स्पष्टता के साथ रखा गया है।

मिस्र और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता हाल ही का है और उसमें जो पक्ष सम्मिलित हैं वे इस वर्तमान संकट के दो मुख्य दल हैं। लोक-सभा इस समझौते के सुत्रों को जानना चाहेगी :

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसका अनुच्छेद ८ इस प्रकार है : "समझौता करने वाली दोनों सरकारें यह मानती हैं कि स्वेज समुद्री नहर, जो कि मिस्र का एक अविभाज्य भाग है, आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक दृष्टिकोण से एक अन्तरांष्ट्रीय महत्व का जलमार्ग है, और दोनों सरकारें नहर में नौवाहन की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत देने वाले उस समझौते की मर्यादा बनाये रखने का निश्चय प्रकट करतीं हैं जिस पर २९ अक्टूबर, १८८८ को कुस्तुनतुनियां में हस्ताक्षर हुये थे।"

ब्रिटेन और मिस्र के मध्य हुये इस सत्यनिष्ट समझौता में एक ओर तो मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और दूसरी ओर इस जलमार्ग के "अन्तराष्ट्रीय महत्व" का होने की विशेषता को मान्यता दी गई है, और दोनो ही ने १८८८ के समझौते की मर्यादा को बनाये रखने के अपने निश्चय को प्रकट किया है।

स्वेज कैनाल कंपनी एक मिस्र समवाय, और मिस्र के दृष्टिकोण से, वह उस देश के कानूनों के ही अधीन है। कुछ थोड़े से अंशों को छोड़कर, शेष सभी अंशों पर विदेशी सरकारों या राष्ट्रजनों का स्वामित्व है। ब्रिटिश सरकार के पास ४४ प्रतिशत अंश हैं। उसके बोर्ड में ३२ निदेशक हैं; ९ ब्रिटिश, १६ फ्रांसीसी, ५ मिस्री, १ अमरीकी और १ डच।

मिस्र सरकार द्वारा स्वेज कैनाल कंपनी को प्रदान की गई रियाततों की अवधि १९६८ में समाप्त होती ; और पहले की तथा वर्तमान मिस्री सरकार ने सावजनिक रुप से यह घोषित कर दिया है कि उन रियायतों को फिर से नहीं दिया जायेगा। उस समय, १८५६ के समझौते के अन्तर्गत सभी आस्तियां और आभार मिस्र को मिल जायेंगे।

इस लिये मिस्र की सरकार का यह निर्णय समवाय को अपने अधिकार में ले लेने की नियत तिथि से पूर्व किया हुआ लगेगा। इसमें जब्ती का कोई प्रश्न इस लिये नहीं उठा है क्योंकि अंशधारियों को तो बाजार भाव पर प्रतिकर दिया ही जाना है। यदि इस विषय में कुछ मतभेद रह भी जाते हैं, तो उनके कारण किसी ऐसी घटनाओं के घटित होने की आशंका नहीं है जिन के कि परिणामस्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो जाये ।

मिस्र की सरकार ने भी इस बात को दोहराया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों से उद्भत अपनें सभी आभारों का सम्मान करेगी, उन्हें निभायेगी । उसने अपने इस सम्मोदन में १८८८ के समझौते और १९५४ के इंग्लैंड-मिस्र समझौते दोनों ही का निर्देश किया है।

फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने मिस्र की इस घोषणा पर बड़ी शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह प्रतिक्रिया बड़ी तीव्रता, तीक्षणता और साथ ही पूरे जोर से व्यक्त की गई। लोक-सभा के माननीय सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों द्वारा जारी किये गये सेना और नौसेना को इधर उधर भेजने के और साथ ही मिस्र में की गई कुछ सैनिक कार्यवाहियो के प्रेस-समाचार देख चुके हैं। इनका बहुत अधिक प्रचार किया गया है, और इन्होंने परिस्थिति को और भी बिकट बना दिया है। इन सभी घटनाओं ने मिस्र में ही नहीं, सारे अरब संसार के लोकमत पर प्रभाव डाला है। समूचे एशिया में, उसकी औपनिवेशिक स्थिति की स्मृति के कारण, इसके प्रति तीव्र विक्षोभ उत्पन्न हो गया है।

भावनाओं को और अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहता हूं लेकिन तो भी मैं इस लोक-सभा और देश के और इस संकट में ग्रस्त सभी पक्षों के भी और ब्रिटेन और फ्रांस के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहूंगा यदि मैं स्पष्ट तौर पर यह न कहूं कि इस विवाद का निबटारा करने के लिये धमकियां देना, या इस मामले में बल का प्रदर्शन करना या बल प्रयोग द्वारा अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना, एक गलत तरीका है। यह इस युग का तरीका नहीं है और तर्कपूर्ण भी नहीं है। उस तरीके में संसार की और वर्तमान एशिया की आज की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि केवल इतना ही कुछ होता, तो शायद धैय से कार्य लेते और सोचते कि यह मानसिक स्थिति बदल जायेगी। लेकिन इन घटनाओं के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट न करना और इनके अशोभनीय

उपलक्षणों को बताना, वास्तविकता को न समझना और व्यवहार कुशलता से आंखें मुंदना होगी और विवेक हीनता होगी। हम इतनी प्रतिक्रियाओं और उनके फलस्वरुप किये गये उपायों के प्रति अपना अत्यंत खेद प्रकट करते हैं और हम आशा करते हैं कि यह सब कुछ समाप्त हो जायेगा और सभी पक्ष वार्ता आरंभ करके इस शान्तिपूर्ण निबटारा करने का प्रयास करेंगे।

हम इस बात पर भी अत्यंत खेद प्रकट करते हैं कि जिन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप यह संकट उत्पन्न हुआ है, उनके संबंध में कहीं भी किसी भी पक्ष की ओर से अलग अलग रुप से या सम्मिलित रुप से एक दूसरे को पहले से सूचित करने या परस्पर परामर्श करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और गरिमा और हमारे उसके साथ स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति हमारे हृदय में बड़ा सम्मान तथा आदर है। मिस्र द्वारा किये गये राष्ट्रीयकरण के निर्णय के इतने शीघ्रता से किये जाने का कारण अमरीकी सरकार का आसवान बांध संबंधी वह निर्णय था जिसमें बाद में ब्रिटेन की सरकार भी सम्मिलित हो गई थी। उस निर्णय से कहीं अधिक तो उस निर्णय के किये जाने के तरीके ने मिस्र के आत्मसम्मान और उसके गर्व को चोट पहुंचाई है। और उसकी जनता की भावनाओं का अपमान किया है।

हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णय के इस प्रकार एकाएक किये जाने और जिस ढंग से उसे कार्यन्वित किया गया है, उसने भी प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने में योग दिया हो। लेकिन, मिस्र के कानूनों के अन्तर्गत स्वयं इस राष्ट्रीयकरण की शर्तें भी उस सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है।

जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने लोक-सभा को सूचित किया था कि हाल ही में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तब मेरे और राष्ट्रपति नासिर के बीच स्वेज नहर के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी। उस पर विचार और उससे संबंधित निर्णय बाद ही में किया गया होगा।

अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने बड़ी तत्परता से और काफ़ी अधिक समय तक इस पर परस्पर परामर्श किया है, और उनके विचार एक संयुक्त विज्ञाप्ति में दिये गये हैं। जिसे माननीय सदस्यों ने प्रेस समाचारों में देखा होगा।

इस विज्ञप्ति में मिस्र के संपूर्ण प्रभूत्व संपन्नता अधिकारों को मान्यता दी गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें इन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों को उन आस्तियों के राष्ट्रीयकृत करने तक ही सीमित रखा गया है, जिनसे विज्ञप्ति के शब्दों में "कोई अन्तर्राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होते हैं।" यदि मतभेद की केवल यही एक बात थी, तो इतनी कठोर प्रतिक्रिया और युद्ध छेड़ने की बातें करना नितान्त अनावश्यक था और इसके परिणाम भी दु:खद ही रहे हैं। मुझे अब भी आशा है कि युद्ध छेड़ने की धमकियां बाते भर हैं, युद्ध की तैयारियां नहीं हैं।

तीनों शक्तियां इस बात पर भी सहमत थीं की १८८८ के समझौते में सम्मिलित पक्षों और नहर के उपयोग से सामन्यता संबंध रखने वाले अन्य राष्ट्रों का एक सम्मेलन १६ अगस्त, १९५६ को लंदन में बुलाया जाये उस सम्मेलन में वे भाग लेने के लिये तैयार हो गयी थीं। इसी निर्णय का पालन करते हुये, ब्रिटेन ने इन २३ देशों को निमंत्रण दिया ......

> आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, मिस्र, इथियोपिया, जर्मन फेडरल गणतंत्र, फ्रांस, ग्रीस, भारत, इण्डोनेशिया, इरान, इटली, जापान, नीदरलैंडस, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, टर्की, अमरीका और रुसी सोवियत समाजवादी संघ।

भारत सरकार को ब्रिटेन की ओर से "स्वेज नहर के प्रश्न पर" लन्दन में होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण ३ अगस्त को मिला था। इससे पहले, ब्रिटेन की सरकार भारत सरकार को घटनाओं की सूचना देती रही थी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत सरकार परिस्थिति की अत्यंत गंभीरता और उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न संकटों को समझती है और इसलिये उसने इस प्रश्न के सभी पहलुओं, और इस निमंत्रण के लिये दिये जानेवाले उत्तर के संबंध में बड़ी सावधानी से विचार किया है। भारत सरकार ने इसमें रुचि रखने वाले देशों, जिसमें मिस्र भी सम्मिलित है, के साथ भी संपर्क बनाये रखा है।

भारत सरकार को सदा ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट रही है कि वह किसी भी ऐसे सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता है जिसमें कि उसमें भाग लेने वाले देशों को कुछ पूर्ण-निर्धारित निर्णयों को ही मानने पर वाध्य होना पड़े। भारत सरकार इतनी ही दृढ़ता के साथ युद्ध की तैयारियों के किन्हीं प्रबन्धों या मिस्र के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों को चुनौती देने वाली किन्ही कार्यवाहियों या प्रतिबंधों में हाथ बटाने से इन्कार करती है। भारत सरकार नियंत्रित देशों की सूची में से वे कुछ देशों के जिन्हें कि १८८८ के समझौते के हस्ताक्षर कर्त्ताओं या नहर के मुख्य उपभोक्ताओं की श्रेणियों में सम्मिलित किया जाना चाहिये था निकाल दिये जाने की बात से भी चिन्तित है। उनमें कोई ऐसा विभेद न करते हुये जिससे कि परस्पर मन-मुटाव बढ़ें मैं यह कहूंगा कि उस सूची में से ब्रम्ह का निकाल दिया जाना हमारे लिये विशेष तौर पर खेद का विषय है। १८८८ के समझौते के संबंध में एक उत्तराधिकारी राज्य और साथ ही एक समुद्री शक्ति होने के कारण, युगोस्लाविया को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिये था। इसलिये, भारत सरकार निमंत्रण दिये गये देशों की उस सूची को उचित नहीं मानती है।

भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा है, और वह इस बात से आश्वस्त है कि इस सम्मेलन में उसके भाग लेने का यह बिलकुल भी अर्थ नहीं होगा कि वह संयुक्त विज्ञप्ति में निरुपित सिद्धान्तों और उसके दृष्टिकोण से प्रतिबन्धित या वाध्य है। वह समझती है कि मिस्र को स्वेज नहर संबंधी किसी भी ऐसी सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिये, और न वह लेगा ही, जिसमें कि वह केवल एक निमंत्रित शक्ति ही हो किया जाये और जिसके संबंध में उससे पहले कोई भी परामर्श न किया गया हो।

भारत सरकार को इसी परिस्थिति को देखते हुये अपना निर्णय करना था। भारत इसमें कोई हित न रखने वाला पक्ष नहीं है। वह इस जल मार्ग का एक मुख्य उपभोक्ता है और उसका आर्थिक जीवन तथा विकास आज के इन विवादों से अक्षुण रहने वाला नहीं है। अपितु इसके संबंध में घटने वाली और भी गंभीर घटनाओं का तो स्पष्टतया उस पर प्रभाव पड़ेगा ही।

इतना ही नहीं, भारत पूर्ण रुप से यह चाहता है कि कोई टक्कर न होने पाये। मिस्र के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, और वह बाडुंग घोषणाओं तथा "पंचशील" की स्वीकृत में मिस्र का सहभागी भी है। इस विवाद में ग्रस्त मुख्य-मुख्य पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के संबंध काफी अच्छे और समीप के हैं। हम इन दोनों ही संबंधों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसे लोक-सभा और समस्त संसार जानता है। भारत सरकार ने इस विवाद के संबंध में अपना कोई निर्णय करने का आधार इसी विचार को इसी कसौटी को बनाया है, और यह कोई साधारण बात नहीं है, कि वह किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से कोई भी टक्कर न होने देने के उद्देश्य की प्रगति कर सकती है और समय रहते एक शान्तिपूर्ण निबटारा करा सकती है। भारत सरकार की भांति लोक-सभा भी परिस्थिति की गंभीरता को समझेगी। इसीलिये, भारत सरकार को सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस समस्या का निबटारा मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और गरिमा के आधार पर और सभी संबंधित देशों की परस्पर सहमति से, और किसी भी पक्ष की ओर से अक्रमण की धमकियों तथा हिंसा तथा एकपक्षीय कार्यवाही का सहारा लिये बिना ही किया जाये।

इसलिये भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से आवश्यक आश्वासन प्राप्त किये और अपनी स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया। भारत सरकार ने पूरी तौर पर स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि लंदन सम्मैलन में उसके भाग लेने से किसी भी तरह से मिस्र के हितों या उसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों तथा गरीमा को उसे ठेस नहीं पहुंचेगी। भारत सरकार पर जो गंभीर दायित्व आ गया है, उसके प्रति सजग रहते हुये, उसने निमंत्रण को स्वीकार करने और सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने का निर्णय किया है।

भारत सरकार ने इण्डोनेशिया और श्रीलंका तथा अन्य उन देशों के साथ, जो प्रश्न के संबंध में सामान्यत: भारत जसा ही दृष्टिकोण और रुख रखते हैं समीप का संपर्क बनाये रखा है।

भारत सरकार भली भांति जानती है कि उस सम्मेलन में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं किये जा सकते हैं ; क्यों कि इसके लिये मिस्र की सहमति की आवश्यकता है।

मैं जानता हूं कि लोक-सभा इस विषय में सरकार की ही भांति चिन्तित है। मैं समूची लोक-सभा के साथ बड़ी नम्रता से आशा करता हूं कि भारत के इस सम्मेलन में भाग लेने से समस्या के शान्तिपूर्ण निबटारे के प्रयासों को सहायता मिलेगी।

†डा० **लंका सुन्दरम** (विशाखपटनम) : इस मसले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : आप निर्णय कर चुके हैं कि वक्तव्य के बाद लोक-सभा स्थगित होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा डा० मुकर्जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा, गुरूवार, ९ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।